श्रीयुत इंडियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड , जी-9, अली यवर जंग मार्ग, बांदरा (ईस्ट) मुंबई - 400051 द्वारा गाँव पेखूबेला, तहसील व जिला ऊना हिमाचल प्रदेश मे पेट्रोलियम उत्पादों की प्राप्ति, भण्डारण और प्रेषण की इकाई की स्थापना के प्रस्ताव पर पर्यावरण जन सुनवाई के आयोजन सम्बन्धी कार्यवाही का विवरण :

हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा दिनांक 22 जनवरी, 2016 को प्रातः 11:00 बजे कृषि विभाग के सीड मल्टी सर्टिफिकेशन एंड डिवलपमेंट , गाँव पेखूबेला , तहसील व जिला ऊना हिमाचल प्रदेश मे पेट्रोलियम उत्पादों की प्राप्ति, भण्डारण और प्रेषण की इकाई की स्थापना के प्रस्ताव पर पर्यावरण जन सुनवाई भारत सरकार द्वारा जारी ई.आई.ए.(EIA) अधिसूचना संख्या का.आ.1533(अ) दिनांक 14-09-2006 के अंतर्गत निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी ऊना की अध्यक्षता में आयोजित की गयी | इस जन सुनवाई के दौरान स्थानीय प्रशासनिक अधिकारी व अन्य विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारी व पंचायत प्रधान पेखूबेला , व साथ लगती पंचायतो व साथ लगते गावों के निवासी उपस्थित थे | सर्व प्रथम हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ऊना के वरिष्ठ पर्यावरण अभियंताने अध्यक्ष महोदय व जनता का अभिनंदन किया व जन सुनवाई की कार्यवाही प्रकिया शुरू की | अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी उना ने उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए कहा की इस इकाई की स्थापना के सम्बन्ध मे कोई भी सुझाव, विचार एवं शिकायत हो तो निसंकोच पूछ सकते हैं | तत्पश्चात इंडियन ऑयल कारपोरेशनलिमिटेड के प्रतिनिधि द्वारा अपनी इकाई के प्रारूप और विस्तरित पर्यावरण प्रभाव निर्धारण के बारे में जन समूह को अवगत कराया गया |

इसके उपरांत अध्यक्ष महोदय की अनुमति से जन सुनवाई की प्रक्रिया आरम्भ की गयी | इस जन सुनवाई की सम्पूर्ण कार्यवाही की विडिओग्राफी भी की गयी | इस जन सुनवाई के दौरान उठाए गए मुदों एवं उन पर की गयी टिप्पिणयों की कार्यवाही का विवरण निम्न प्रकार से है -

क्र.	**नाम व पता**	**मुद्दे**	**उठाये गए मुद्दों पर टिप्पणी**
1.	श्री जगदेव प्रधान ग्राम पंचायत जनकौर		इन्होंने कहा की इस परियोजना के अन्तर्गत जो भी गाड़ियों तथा रोजगार का प्रावधान होगा तो इसमें नांगडा तथा जनकौर की ग्राम पंचायतों के निवासियों की प्राथमिकता का ध्यान रखा जाये		परियोजना के प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि स्थानीय निवासियों को सरकारी प्रावधान एवं जन निविदा चयन के अंतर्गत प्राथमिकता दी जाएगी और अकुशल श्रमिको के लिए आसपास की स्थानीय पंचायतों के निवासियों को प्राथमिकता दी जाएगी	

2	श्री तीर्थ राम प्रधान ग्राम पंचायत जुडोवाला|	इन्होने कहा की इस परियोजना के साथ लगती आबादी की सुरक्षा का ध्यान रखा जाये तथा माल ढूलाई के लिए स्थानीय निवासियों की गाडियों को ही प्राथमिकता दी जाये |	परियोजना के प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए परियोजना में S.O.P. के अंतर्गत सुरक्षा उपकरण स्थापित किये जायेंगे तथा ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैण्डर्ड (BIS) , अमेरिकन पेट्रोलयम इंस्टिट्यूट स्टैण्डर्ड (APIS) के प्रावधानों का अनुसरण किया जायेगा तथा स्थानीय निवासियों की गाड़ियों को सरकारी प्रावधान के अंतर्गत ही प्राथमिकता दी जाएगी |
3	अजय कुमार कृषि विभाग ऊना |	इन्होने कहा की हमारा कृषि संस्थान परियोजना से सटा हुआ है तथा यंहा पर पानी की निकासी के लिए क्या प्रावधान किया गया है ?	परियोजना के प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि पानी की निकासी के लिए उचित प्रावधान किया जायेगा जिसके अंतर्गत पानी की निकासी के सुधार के लिए 18 -20 करोड़ रुपये परियोजना द्वारा खर्च किये जायेंगे |
4	तेज प्रताप प्रधान ग्राम पंचायत बडेहर |	इन्होने कहा की माल ढूलाई के लिए स्थानीय निवासियों की गाडियों को ही प्राथमिकता दी जाये तथा रोजगार में भी स्थानीय निवासियों को प्राथमिकता दी जाये |	परियोजना के प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि स्थानीय निवासियों को सरकारी प्रावधान एवं जन निविदा चयन के अंतर्गत ही प्राथमिक्ता दी जाएगी और अकुशल श्रमिको के लिए आसपास की स्थानीय पंचायतों के निवासियों को प्राथमिकता दी जाएगी तथा स्थानीय निवासियों की गाड़ियों को भी सरकारी प्रावधान के अंतर्गत ही प्राथमिकता दी जाएगी |

अंत में वरिष्ठ पर्यावरण अभियंता हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ऊना ने सभी प्रतिभागियों और स्थानीय प्रशासन का पर्यावरण सम्बन्धी जन सुनवाई में भाग लेने पर धन्यवाद किया |

अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी
जिला ऊना (हि. प्र.)